



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
प्रधान पंचायत श. 5 ग. वि. जोड़पुरा	ना म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत <i>वे. 5.8.21</i>		
प्रार्थना-पत्र नम्बर <i>359 / 2021</i>		GCMS No. <i>2021/1183</i>
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	
<i>28/11/2021</i>	<p>प्रार्थी श्री <i>प्रधान पंचायत</i> पुत्र <i>श. 5 ग. वि. जोड़पुरा</i> जाति <i>—</i> निवासी <i>—</i> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <i>वे. 5.8.21</i> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <i>2071-2072</i> ग्राम <i>जोड़पुरा</i> पटवार मण्डल <i>नागौर</i> के खाता नम्बर <i>108</i> मे प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <i>शालीवजोची स्व. उपरी पटवार जोड़पुरा</i> दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम <i>श. 5 ग. वि. जोड़पुरा</i> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर <i>—</i> मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज <i>BEEC जमाबन्दी कर</i> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <i>नागौर</i> भू.अ.नि <i>नागौर</i> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंघा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> 	
		

1428-143